

2519/19

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त की अपील का मूल आवेदन, स्मरण पत्र दिनांक 28.8.2019 एवं पत्रादि सहित अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कंकडी द्वारा अपील के सन्दर्भ में वांछित टिप्पणी स्मरण पत्र के बावजूद आज दिनांक तक प्रेषित नहीं की है, जो खेदजनक है। उपखण्ड अधिकारी, कंकडी को निर्दिष्ट किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध, देय सूचना/विनिश्चय से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अपने कार्यालय में सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त पत्रादि/आवेदनों का व्यवस्थित संधारण करें ताकि अपीलोत्तर एवं सूचना प्रदान करने में विलम्ब ना हों। अपील, अपीलान्त इसी कदर से निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम ही।



*(Signature)*

(विश्व मोहन शर्मा)  
जिला कलक्टर, अजमेर

3340-41

22/10/19